(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 02/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण जाति राजपूत निवासी 79, हनुवंत बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.11.18 में उसके द्वारा (1) प्रार्थी हेतु उपखण्ड अधिकारी लूणी ने आपको अपने पत्र क्रमांक 75 एवं 76 दिनांक 16.08.16 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर संलग्न कर भेजे थे, उस पर आज तक आप द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी व उप तहसीलदार झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी व उप तहसीलदार झंवर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार लूणी से ही संबंधित था उन्होंने गलत रूप से उप तहसीलदार झंवर को प्रेषित किया व उप तहसीलदार झंवर ने भी उस प्रार्थना पत्र पर गौर किये बिना अपने पत्रांक 383 दिनांक 17.12.18 द्वारा सभी तथ्य गलत लिखकर प्रत्युतर दिया। अपील मे आगे यह भी बतलाया कि उप तहसीलदार झंवर ने बिन्दु संख्या 4 के सन्दर्भ में प्रार्थी को मोमी ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराने हेतु लिखा तो प्रार्थी मोमी ट्रेस नक्शा कहां से उपलब्ध करायेगा। अपील के अन्त में तहसीलदार लूणी से सूचना उपलब्ध कराने का निवेदन किया। लोक सूचना अधिकारी (उप तहसीलदार झंवर) द्वारा बिन्दु संख्या 3 व 4 से संबंधित सूचना के लिए प्रार्थी को जरिये पत्रांक 383 दिनांक 17.12.18 सूचित किया जा चुका है, परन्तु तहसीलदार लूणी के कार्यालय से संबंधित बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना है वो नहीं दी गई है, न इन्होंने इस अपील में मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की है जो अत्यन्त खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	